छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक ...../334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी–4, रायपुर दिनांक /07/2012

प्रति,

मुख्य अभियंता
हसदेव बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– मेसर्स ए॰सी॰बी॰ (इंडिया) लि॰ (पूर्व में आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा॰ लि॰) गुड़गाँव/बिलासपुर द्वारा जिला–कोरबा, तहसील–कटघोरा, ग्राम–कसाईपाली के निकट प्रस्तावित 270 (2X135) मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट हेतु खोलार नाला, सलिहा नाला तथा अहिरन नदी से 10.00 मी॰घ॰मी॰ वार्षिक जल आबंटन की स्वीकृति : जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण होने तक हसदेव बांगो परियोजना की दाँयी तट नहर से अस्थाई जल आहरण की स्वीकृति।

संदर्भः– 1. शासन का पत्र क्र॰ 434/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी–4, दि. 22.01.2008.
2. प्र.अ. का पत्र क्र. 3451345/औजप्र/छ.ग./12/6525–6526,दिनांक 14.05.2012.
3. शासन का पत्र क्र॰ 5561/7/जसं./तशा/औजप्र/01/डी–4, दि. 20.07.2012.

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्रों के तारतम्य में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 31वीं बैठक, दिनांक 15.05.2012 में लिये गये निर्णयानुसार, मेसर्स ए॰सी॰बी॰ (इंडिया) लि॰ (पूर्व में आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा॰ लि॰) गुड़गाँव/बिलासपुर (संस्थान) द्वारा जिला–कोरबा, तहसील–कटघोरा, ग्राम–कसाईपाली के निकट प्रस्तावित 270 (2X135) मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट हेतु खोलार नाला, सलिहा नाला तथा अहिरन नदी से 10.00 मी॰घ॰मी॰ वार्षिक जल आबंटन की, शासन के पत्र क्र.–434–435/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी–4, रायपुर दिनांक 22.01.2008 द्वारा प्रदान की गई सशर्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में, संस्थान को जल की तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुये, प्रकरण में जल प्रदाय हेतु खोलार नाला, सलिहा नाला तथा अहिरन नदी में प्रस्तावित जल संरचनाओं के निर्माण उपरांत उसमें जल संग्रहण होने तक, हसदेव बांगो परियोजना की दाँयी तट नहर से 0.83 मि॰घ॰मी॰ प्रतिमाह की दर पर तत्कालिक व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से लगभग 3–4 माह तक जल आहरण/प्रदाय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1. संस्थान, हसदेव बांगो परियोजना की दाँयी तट नहर से जल आहरण/प्रदाय हेतु मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था (इंटेकवेल/पम्प हाऊस का निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं के व्यय पर करेगा। इसके साथ ही यदि ग्रीष्म काल में वांछित जल उपलब्ध नहीं होता है तो तदनुसार आवश्यक जल हेतु संस्थान अपने संयंत्र परिसर में बैलेन्सिंग रिज़रवायर (तालाब) बनाकर, उसमें मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध जल बहाव से जल आहरित कर जल संग्रहण करेगा।

2. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु नहर से जल आहरण/प्रदाय के निर्धारित स्थल पर मानक जल मापन यंत्र की स्थापना संस्थान को स्वयं के व्यय पर करनी होगी, जिसकी समय–समय पर विभाग द्वारा जांच की जा सकेगी। प्रकरण में नहर से प्रदाय की जाने वाली जल की मात्रा पर 30% जल क्षति का समावेश कर बिलिंग की जाएगी।

3. प्रकरण में जल ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए भू–अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा।

4. संस्थान द्वारा वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल–मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय–समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी।

5. हसदेव बांगो परियोजना/ दाँयी तट नहर में जल संग्रहण/जल आहरण के प्रस्तावित स्थल के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।

6. संस्थान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा एवं इसके लिए आवश्यक जल की मात्रा हमेशा सुरक्षित रखी जायेगी।

7. संस्थान, उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्सारित जल का रि–साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

8. संस्थान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग के निर्धारित प्ररूप–7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार/अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रकरण में अस्थाई जल प्रदाय बाबत् मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यकतानुसार रोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

9. संस्थान को, शासन द्वारा शासकीय स्त्रोत (नहर) से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय–समय पर निर्धारित जल–दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जेस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा एवं कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 का पालन संस्थान के लिए बंधनकारी होगा।

10. प्रकरण में जल प्रदाय की यह अस्थायी स्वीकृति, हसदेव बांगो परियोजना में वर्तमान में उपलब्ध जल संग्रहण के आँकड़ो/परिस्थितियों पर आधारित है। ग्रीष्मकाल में किसी कारणवश यदि वांछित जल बहाव उपलब्ध नहीं होता है तो शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा तथा इस संबंध में शासन के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।

11. प्रकरण में जारी यह स्वीकृति पूर्ण रूप से अस्थाई है। खोलार नाला, सलिहा नाला तथा अहिरन नदी में प्रस्तावित जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होकर, उसके जल संग्रहण होना जिस दिन प्रारंभ होगा, उस दिन यह अस्थाई स्वीकृति निरस्त होकर, प्रकरण में जल आबंटन/प्रदाय की, शासन के पत्र दिनांक 22.01.2008 द्वारा जारी स्वीकृति प्रभावशील हो जायेगी एवं उसके अनुसार स्थाई रूप से जल आहरण किया जा सकेगा।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

सहपत्रः– शून्य।

सही/-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पृ.क्र. 5790 /334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी–4, रायपुर दिनांक 31/07/2012

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर को संदर्भित पत्र क्र.–1 एवं 3 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, रायपुर को संदर्भित पत्र क्र.–1 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मण्डल, रामपुर/कोरबा, एवं
5. कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा,

   को सूचनार्थ एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. संयुक्त प्रबंध निदेशक, ए.सी.बी. (इंडिया) लि., सातवां माला, कार्पोरेट टावर, एम्बियांस मॉल, एन.एच.–8, गुड़गांव–122001 (हरियाणा) को उनके पत्र क्र.–acbil/GoC/2x135/11-12/1316, दिनांक 27.03.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्रः– शून्य।

31/7/12

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर